न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 205 / 2023

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
रमेशकुमार पुत्र डालूराम जाति सोनी निवासी होडू हाल निवासी सिणधरी तहसील सिणधरी		1. गजेसिह पुत्र मागसिह 2. जालमसिह पुत्र मागसिह 3. पुर्णसिह पुत्र मागसिह 4. श्रीमति गगादेवी पत्नी मागसिह जातियान वजीर निवासी वहीं की ढाणी हाल निवासी सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर 5. सरपच बजरिये ग्राम पंचायत होडू हाल ग्राम पचायत समदडो का तला तहसील सिणधरी जिला बाडमेर 6. भवरलाल पुत्र उमाराम 7. कमला पुत्री उमाराम 8. श्रीमति हरियोदेवी पत्नी उमाराम 9. मोटाराम पुत्र वनाराम 10. सोनाराम पुत्र वनाराम 11. विरोदेवी पुत्री वनाराम 12. खेतुदेवी पुत्री वनाराम 13. चनणीदेवी पुत्री वनाराम 14. पारूदेवी पु[illegible] 15. श्रीमति [illegible] 16. गिरधारीराम दतक पुत्र हिमताराम 17. मोमाराम पुत्र पुनमाराम 18. पुनमाराम पुत्र अणदाराम 19. श्रीमति गवतुदेवी पत्नी गिरधारीराम जातियान जाट निवासीयान धीराराम सेवर की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:48:09 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री रामजीवन विश्नोई, प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक –14.12.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी का खेत मौजा धीराराम सेवर की ढाणी पटवार हल्का होडू में खसरा संख्या 964 रकबा 0.2265 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा खेत मौजा धीराराम सेवर की ढाणी पटवार हल्का होडू में खसरा संख्या 964 रकबा 0.2265 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा धीराराम सेवर की ढाणी पटवार हल्का होडू में खसरा संख्या 964 रकबा 0.2265 हैक्टेयर आई हुई है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा धीराराम सेवर की ढाणी पटवार हल्का होडू में खसरा संख्या 964 रकबा 0.2265 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:48:09 IST
Reason: SelfAttested

4.हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि मौजा धीराराम सेवर की ढाणी पटवार हल्का होडू में खसरा

संख्या 964 रकबा 0.2265 हैक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि की रिकार्डेड खातेदार है,और रिकार्डेड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्राथीर्नी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा, प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा धीराराम सेवर की ढाणी पटवार हल्का होडू में खसरा संख्या 964 रकबा 0.2265 हैक्टेयर के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्राथीर्नी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। थानाधिकारी पुलिस थाना सिणधरी से आवश्यकता के अनुरूप पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। कमिशनर फीस 1000/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 14.12.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:48:09 IST
Reason: SelfAttested